झारखण्ड
सहायक अभियोजन अधिकारी
(प्रारम्भिक) परीक्षा

सामान्य अध्ययन एवं विधि

(Diglot Edition)

प्रधान सम्पादक

आनन्द कुमार महाजन

सम्पादक

अभिषेक सिंह

लेखन सहयोग

हर्षवर्धन सिंह (L.L.M. NET), मनीष सिंह (L.L.M. NET)

आन्तरिक सज्जा

बालकृष्ण, आशीष गिरि

सम्पादकीय कार्यालय

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002

मो. : 9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctbooks.com/www.yctfastbook.com

© All rights reserved with Publisher

प्रकाशन घोषणा

प्रधान सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने ओम साईं ऑफसेट, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर, वाई.सी.टी. पब्लिकेशन्स प्रा. लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी किसी त्रुटि के लिए सम्पादक एवं प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

मूल्य :150/-

विषय-सूची

- **झारखण्ड सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) परीक्षा, 2019**
  सामान्य अध्ययन (GK) व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र 5-20
- **झारखण्ड सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) परीक्षा, 2019**
  विधि (Law) व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र 21-33
- **झारखण्ड सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) परीक्षा, 2012**
  सामान्य अध्ययन (GK) व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र 34-49
- **झारखण्ड सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) परीक्षा, 2012**
  विधि (Law) व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र 50-63

पाठ्यक्रम

नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया–सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी एवं यह परीक्षा द्वि-स्तरीय होगी–

(A) प्रारम्भिक परीक्षा

(B) मुख्य परीक्षा

(A) प्रारम्भिक परीक्षा–

प्रारंभिक परीक्षा में दो पत्र होंगे। प्रथम पत्र 100 अंकों का जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। द्वितीय पत्र 200 अंकों का विधि विषयक होगा। यह **परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति** की होगी, जिसके आधार पर उक्त वर्ष में उपलब्ध/प्रतिवेदित कुल रिक्तियों के तेरह गुणा (1:13) अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किये जायेंगे।

क्र.सं.	पत्र	विषय	कुल अंक	समय	स्तर
01	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	**100**	2 घंटा	सामान्य
02	द्वितीय पत्र	विधि विषयक	**200**	2 घंटा	विधि स्नातक

प्रारंभिक परीक्षा के लिए संदर्भित विषयः

प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना-क्रम, भारत के इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जायेंगे। साथ ही झारखण्ड राज्य के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जायेंगे। द्वितीय पत्र में साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(B) मुख्य परीक्षा–

(i) मुख्य परीक्षा में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित निम्न 09 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक भाषा की 100 अंकों की परीक्षा होगी–

(क) संथाली भाषा और साहित्य (ख) मुण्डारी भाषा और साहित्य (ग) खड़िया भाषा और साहित्य (घ) हो भाषा और साहित्य (ङ) कुडुख भाषा और साहित्य (च) नागपुरी भाषा और साहित्य (छ) कुरमाली भाषा और साहित्य (ज) खोरठा भाषा और साहित्य (झ) पंचपरगनिया भाषा और साहित्य

इस पत्र का अंक मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा परन्तु इसके लिए निम्न न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा– सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

(ii) मुख्य परीक्षा के तहत **लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार)** होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी, निबन्ध, सामान्य अध्ययन एवं विधि से संबंधित विषय होंगे। इन विषयों का स्वरूप, अंक, स्तर निम्न प्रकार से होगा–

क्र.सं.	पत्र	विषय	कुल अंक	समय	स्तर
1	प्रथम पत्र	सामान्य हिन्दी	100	3 घंटा	प्रवेशिका
2	द्वितीय पत्र	अंग्रेजी	100	3 घंटा	प्रवेशिका
3	तृतीय पत्र	निबन्ध	100	3 घंटा	प्रवेशिका
4	चतुर्थ पत्र	सामान्य अध्ययन	100	3 घंटा	सामान्य
		विधि विषय			
5	पंचम पत्र	साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया	200	3 घंटा	विधि स्नातक
6	षष्ठम पत्र	भारतीय दंड संहिता	200	3 घंटा	विधि स्नातक
7	सप्तम पत्र	भारतीय संवैधानिक विधि	200	3 घंटा	विधि स्नातक
8	अष्टम पत्र	आपराधिक माइनर एक्ट	200	3 घंटा	विधि स्नातक
9	**साक्षात्कार**		**50 अंक**		सामान्य

9. लिखित परीक्षा से संबंधित विषयक विवरण–

1. सामान्य हिन्दी तथा अंग्रेजी विषयों में प्राप्त अंकों को मेधा सूची तैयार करने में नहीं जोड़ा जायेगा लेकिन जो उम्मीदवार सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी पत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे वे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं समझे जायेंगे।
2. विधि विषयों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक (Minimum Qualifying Marks) सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (BC-II) के लिए 36.5 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग (BC-I) के लिए 34 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32 प्रतिशत होगा।
3. मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य हिन्दी एवं द्वितीय पत्र अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। इसमें 20 अंकों का निबंध, 20 अंकों का पत्र लेखन (सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी) 25 अंकों का व्याकरण, 15 अंकों का वाक्य-विन्यास एवं 20 अंकों के संक्षेपण संबंधित प्रश्न पूछे जाऐंगे।
4. मुख्य परीक्षा के तृतीय पत्र निबन्ध में कुल '2' (दो) खण्ड होंगे जिसमें एक खण्ड विधि विषय एवं दूसरा खंड सामान्य निबन्ध पर आधारित होगा। प्रत्येक खण्ड के वैकल्पिक विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा। प्रत्येक निबन्ध 50–50 अंकों का होगा।
5. मुख्य परीक्षा के चतुर्थ पत्र सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना क्रम से 10 अंकों का, भारत का आधुनिक इतिहास से 10 अंकों का, भूगोल से 10 अंकों का, भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 अंकों का, सामान्य विज्ञान से 10 अंकों का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से 10 अंकों के एवं विधि शब्दावली (व्याख्या सहित) से संबंधित 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाऐंगे। साथ ही झारखण्ड के आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति से संबंधित 15 अंकों के प्रश्न भी पूछे जाऐंगे।
6. **विधि विषयकः**

   (i) पंचम पत्र में अपराध प्रक्रिया संहिता से 125 अंकों का तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 75 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा।

   (ii) षष्ठम पत्र में भारतीय दंड संहिता से 200 अंकों (समस्या सहित) के प्रश्न पूछे जाऐंगे।

   (iii) सप्तम पत्र में भारतीय संवैधानिक विधि से 200 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा।

   (iv) अष्टम पत्र (आपराधिक माइनर एक्ट से) में खण्ड 'क' से 80 अंक खण्ड 'ख' से 60 अंक तथा खण्ड 'ग' से 60 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। आपराधिक माइनर एक्ट में निम्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछें जायेंगे–

80 Marks **Group A**	**60 Marks** **Group B**	**60 Marks** **Group C**
(1) Forest Act 1927	(1) Electricity Act, 2003	(1) Essential Commodities Act 1955
(2) Arms Act 1959 Explosive Substance Act, 1908	(2) Information Technology Act 2000	(2) Dowry Prohibition Act 1961
(3) Criminal Law Amendment Act 1908 and Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967	(3) Prevention of Corruption Act 1988 and Bihar/Jharkhand Prevention of specified corruption Act 1983	(3) Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act 1989
(4) Motor Vehicle Act 1988	(4) Prevention of Food Adulteration Act 1954	(4) Juvenile Justice (Care and protection of Children) Act 2000
(5) Prevention of witch (Dain) Practices Act-1999		

7. सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे (सामान्य हिन्दी तथा अंग्रेजी को छोड़कर) तथा अभ्यर्थियों को किसी एक भाषा में प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प होगा। प्रथम पत्र सामान्य हिन्दी देवनागरी लिपि में एवं द्वितीय पत्र अंग्रेजी विषय, रोमन लिपि में लिखना अनिवार्य होगा। शेष पत्रों के लिए देवनागरी अथवा रोमन लिपि का विकल्प होगा।
8. अभ्यर्थियों को प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के सभी विषयों एवं पत्रों में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की संबंधित परीक्षाओं के विरुद्ध मेधा सूची प्रकाशित नहीं की जा सकेगी।
9. लिखित परीक्षा के आधार पर **साक्षात्कार के लिए कुल रिक्ति के विरुद्ध तीन गुणा (1:3)** अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
10. इस प्रकार मुख्य परीक्षा अर्थात् लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेघा सूची के अनुसार कोटिवार प्रतिवेदित रिक्त पदों को विरुद्ध परिणाम घोषित किए जायेंगे। **जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान हो तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार कम उम्र वाले उम्मीदवार से वरीय होंगे।**

YOUTH COMPETITION TIMES

CIVIL JUDGE/APO/ADPO/APP/HJS/Exam Related Books (Hindi & English Medium)

झारखण्ड सहायक अभियोजन (प्रा.) परीक्षा, 2019

विधि (Law)

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

1. Which among the following fundamental rights available only to the citizen of India?
कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है?

(a) Right to equality/समता का अधिकार
(b) Right to freedom of speech and expression/ वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
(c) Right to life and personal liberty/प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
(d) Protection against double jeopardy/दोहरे दण्ड से संरक्षण

Ans. (b) : भारतीय संविधान के अनु. 19 के तहत प्रदत्त 'वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार के रूप में सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, जबकि समता का अधिकार (अनु. 14), प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 21) तथा दोहरे दण्ड से संरक्षण (अनु. 20(2)) सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वह नागरिक हो या अनागरिक।

2. The nature and function of chief information Commissioiner is
मुख्य सूचना आयुक्त की प्रकृति और कृत्य है:

(a) Judicial/न्यायिक
(b) Quasi Judicial/अर्द्धन्यायिक
(c) Administrative/प्रशासनिक
(d) Constitutional/सांविधानिक

Ans. (b) : मुख्य सूचना आयुक्त की प्रकृति और कृत्य अर्द्धन्यायिक (Quasi Judicial) है।

3. Provision relating to Finance Commission is contained under
वित्त आयोग से सम्बन्धित प्रावधान हैं:

(a) Article 279/अनुच्छेद 279 में
(b) Article 279A/अनुच्छेद 279 क में
(c) Article 280/अनुच्छेद 280 में
(d) Article 283/अनुच्छेद 283 में

Ans. (c) : वित्त आयोग से सम्बन्धित प्रावधान संविधान के अनु. 280 में दिया गया है। वित्त आयोग (Financial Commission) का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते है।
अनु. 279 - 'शुद्ध आगम' आदि की गणना।
अनु. 279A - माल और सेवा कर परिषद।
अनु. 283 - संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि।

4. Which Article of the Constitution provides safeguards against ex post facto law?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद ''एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ'' के सम्बन्ध में प्रावधान करता है?

(a) Article 20(1)/अनुच्छेद 20 (1)
(b) Article 20(2)/अनुच्छेद 20 (2)
(c) Article 20(3)/अनुच्छेद 20 (3)
(d) Article 19(1)(a)/अनुच्छेद 19 (1) क

Ans. (a) : संविधान का अनुच्छेद 20(1) 'कार्योत्तर विधियों से संरक्षण' (ex post facto law) संबंधी नियम का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद भूतलक्षी विधि को लागू होने से प्रतिबंधित करता है।
अनु. 20(2) - किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जायेगा।
अनु. 20(3) - किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।
धारा 19(1)(a)-वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अधिकार।

5. The doctrine of precedent is incorporated under which Article of Constitution?
संविधान के किस अनुच्छेद में पूर्व निर्णय का सिद्धांत दिया गया है?

(a) Article 140/अनुच्छेद 140
(b) Article 141/अनुच्छेद 141
(c) Article 142/अनुच्छेद 142
(d) Article 143/अनुच्छेद 143

Ans. (b) : पूर्व निर्णय का सिद्धांत का अर्थ है - 'भूतकालीन निर्णयों को मार्गदर्शक के रूप में अपनाते हुए भावी निर्णयों के प्रति लागू करना'। भारतीय संविधान के अनु. 141 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी है।
अनु. 140 - उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां।
अनु. 142 - उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश।
अनु. 143-उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

6. Who decides 'Whether a Bill is Money Bill or not'?
कौन निर्णीत करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ?

(a) President of India/भारत का राष्ट्रपति
(b) Finance Minister/वित्त मंत्री
(c) Lok Sabha Speaker/लोकसभा अध्यक्ष
(d) Prime Minister/प्रधान मंत्री

Ans. (c) : भारतीय संविधान के अनु. 110(3) के अनुसार, यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्धारण लोक सभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

7. The organization of Village Panchayats is contained under
ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है:

(a) Article 40/अनुच्छेद 40 में
(b) Article 41/अनुच्छेद 41 में
(c) Article 42/अनुच्छेद 42 में
(d) Article 43/अनुच्छेद 43 में

Ans. (a) : भारतीय संविधान के अनु. 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में दिया गया है।
अनु. 41 - कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
अनु. 42 - काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
अनु. 43 - कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि।

8. The provision relating to constitution of election commission is
निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है:

(a) Article 323B/अनुच्छेद 323 ख
(b) Article 324(2)/अनुच्छेद 324 (2)
(c) Article 331/अनुच्छेद 331
(d) Article 334/अनुच्छेद 334

Ans. (b) : संविधान के अनु. 324(2) में निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।
अनु. 323 ख - अन्य विषयों के अधिकरण।
अनु. 331 - लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व।
अनु. 334 - स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का सत्तर वर्ष के पश्चात् न रहना।

9. 'Article 21 protects the right to life and personal liberty of citizens not only from executive action but also from legislative action.' It was observed in
''अनुच्छेद 21 नागरिकों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण न केवल कार्यपालक कार्यवाही अपितु विधायी कार्यवाही के विरूद्ध भी करता है।'' यह अवलोकिन किया गया:

(a) Minerva Mill case/मिनर्वा मिल मामले में
(b) A.K. Gopalan case/ए. के. गोपालन मामले में
(c) Maneka Gandhi case/मेनका गाँधी मामले में
(d) Keshva Nanda Bharti case/केशवानंद भारती मामले में

Ans. (c) : मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978 SC) के वाद में उच्चतम न्यायालय के अवलोकित किया कि 'अनु. 21 नागरिकों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण न केवल कार्यपालक कार्यवाही अपितु विधायी कार्यवाही के विरुद्ध भी करता है।

10. Which of the following writs can be issued only against the judicial or quasi-judicial authorities?
इनमें से कौन सी रिट केवल न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारियो के विरूद्ध जारी की जा सकती है?

(a) Mandamus/परमादेश
(b) Habeas Corpus/बंदी प्रत्यक्षीकरण
(c) Certiorari/उत्प्रेषण
(d) Quo Warranto/अधिकार पृच्छा

Ans. (c) : उत्प्रेषण (Certiorari) रिट को न्यायिक रिट (Judicial writ) भी कहते है तथा यह केवल न्यायिक एवं अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है।

11. The executive power of the Union is vested in the
संघ की कार्यपलिका शक्ति है:

(a) Union Cabinet/मंत्री मण्डल
(b) Prime Minister/प्रधान मंत्री
(c) President/राष्ट्रपति
(d) Chief Justice of India/भारत के मुख्य न्यायाधीश

Ans. (c) : संविधान के अनु. 53 के अनुसार, संघ की कार्यपालक शक्ति (executive power) राष्ट्रपति में निहित होती है।

12. What is imperative to show the requisites respect to National Anthem?
राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए आवश्यक है:

(a) Sing only/केवल गाना
(b) Stand respectfully/सम्मान में खड़े होना
(c) Sing and Stand respectfully/गाना और सम्मान में खड़े होना
(d) To bow only/केवल झुकना

Ans. (b) : इमैनुअल बनाम बिजो (1986 SC) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए समान पूर्वक खड़े रहना पर्याप्त है।

13. The idea of Preamble in Indian Constitution has been borrowed from
''उद्देशिका'' का विचार भारत के संविधान में लिया गया है:

(a) USA/यू. एस. ए. से
(b) Canada/कनाडा से
(c) USSR/यू. एस. एस. आर. से
(d) UK/यू. के. से

Ans. (a) : उद्देशिका (Preamble) का विचार भारत के संविधान में यू.एस.ए. के संविधान से लिया गया है।
हमारे संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करना है।

14. In which of the following case the Supreme Court held that recording of video conferencing is admissible under the Indian Evidence Act, 1872?
किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि वीडियो कांफ्रेसिंग की रिकार्डिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में ग्राह्य है?

(a) State of Maharashtra v. P. Bala Desai/महाराष्ट्र राज्य बनाम पी. बाला देसाई
(b) Harihar Prasad Singh v. Balmiki Prasad Singh/हरिहर प्रसाद सिंह बनाम बाल्मीकि प्रसाद सिंह
(c) Queen Empress v. Abdullah/क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला
(d) Pakala Narayan Swami v. Emperor/पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर

Ans. (a) : महाराष्ट्र राज्य बनाम पी. बाला देसाई के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि विडियो कांफ्रेंसिंग की रिकार्डिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ग्राह्य है।

15. Indian Evidence Act, 1872 came into force on
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कब प्रवृत्त हुआ?

(a) 1st March, 1872/1 मार्च, 1872
(b) 1st April, 1872/1 अप्रैल, 1872
(c) 1st September, 1872/1 सितम्बर, 1872
(d) 1st October, 1872/1 अक्टूबर, 1872

Ans. (c) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, 1 सितम्बर, 1872 को प्रवृत्त हुआ।

16. Law of Evidence is:
साक्ष्य विधि है:

(a) Lex Loci Contractus/लेक्स लोसाई कॉण्ट्रेक्ट्स
(b) Lex Fori/लेक्स फोराई
(c) Lex Loci Solutionis/लेक्स लोसाई सलूसनियस
(d) Lex Situs/लेक्स साइट्स

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आधार 'फोरम की विधि' (लेक्स फोरी) को माना जाता है अर्थात् साक्ष्य विधि स्थानीय न्यायालय की विधि होती है और उन्हें अधिशासित करती है।

17. In which of the following case the Supreme Court held that the tape recorded conversation is admissible if relevant to matter?
निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि टेपरिकार्ड पर आधारित वार्तालाप ग्राह्य है यदि वह सुसंगत हो?

(a) Lishu Ling v. R./लिशु लिंग बनाम आर
(b) R v. Richardson/आर बनाम रिंचर्डसन
(c) R.M. Malkani v. Mahaashtra State
आर. एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य
(d) Bhola Ram Kushwaha v. M.P. State
भोलाराम कुशवाहा बनाम म. प्र. राज्य

Ans. (c) : आर. एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि टेपरिकार्ड पर आधारित वार्तालाप ग्राह्य है, यदि वह सुसंगत है। (टेपरिकार्ड पर आधारित वर्तालाप धारा 6 के तहत सुसंगत है)।

18. "A confession is an admission made by any time by a person charged with crime stating or suggesting the inference that he committed that crime". Who has given this definition?
''संस्वीकृति एक स्वीकृति है जो किसी समय ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जिस पर अपराध का आरोप है तथा जिसके कथन या सुझाव से यह अनुमानित होता है कि उसने वह अपराध किया है।'' उपरोक्त परिभाषा दी है:

(a) Stephen/स्टीफेन (b) Atkin/एटकिन
(c) Macaulay/मैकाले (d) Millet/मिलेट

Ans. (a) : स्टीफेन महोदय ने संस्वीकृति को परिभाषित करते हुए कहा कि - संस्वीकृति एक स्वीकृति है जो किसी समय ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जिस पर अपराध का आरोप है तथा जिसके कथन या सुझाव से यह अनुमानित होता है कि उसने वह अपराध किया है।

19. Which among the following sections of the Indian Evidence Act, 1872 is an exception to the general rule 'hearsay evidence is no evidence'?
भा. सा. अधिनियम, 1872 की कौन सी धारा इस सामान्य नियम का अपवाद है कि ''अनुश्रुत साक्ष्य, साक्ष्य नहीं है''?

(a) Section 6/धारा 6 (b) Section 11/धारा 11
(c) Section 17/धारा 17 (d) Section 25/धारा 25

Ans. (a) : रेस जेस्टे के सिद्धांत के अनुसार, ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है, जो एक ही संव्यवहार के भाग हो।
अतः रेस जेस्टे का नियम अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते, का अपवाद है। इस सिद्धांत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में उपबंधित किया गया है।
धारा 11 - वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत है।
धारा 17 - स्वीकृति की परिभाषा।
धारा 25 - पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना।

20. Mirza Akbar v. King Emperor is related to-
मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर सम्बद्ध है?

(a) Section 9/धारा 9 (b) Section 10/धारा 10
(c) Section 11/धारा 11 (d) Section 13/धारा 13

Ans. (b) : मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर (1940 PC) वाद का संबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 से सम्बंधित है। यह वाद हत्या के षड्यंत्र (Conspiracy to murder) से सम्बंधित है।
धारा 9 - सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण के पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य।
धारा 11 - वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है।
धारा 13 - जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य।

21. Whose admission will not be relevant under Section 18-20 of the Indian Evidence Act, 1872?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 18-20 के अन्तर्गत किसकी स्वीकृति सुसंगत नहीं है?

(a) Admission by party to the proceeding/कार्यवाही के पक्षकार की स्वीकृति
(b) Admission by servant/सेवक की स्वीकृति
(c) Admission by agent/अभिकर्ता की स्वीकृति
(d) Admission by person having interest in the subject-matter of the suit/किसी वाद की विषयवस्तु में हित रखने वाले व्यक्तियों की स्वीकृति

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है तथा 18-20 में उन व्यक्तियों का वर्णन किया गया है, जिनके द्वारा की गई स्वीकृति सुसंगत होती है। अर्थात् धारा 18 में कार्यवाही के पक्षकार की, धारा 19 में वाद की विषयवस्तु में हित रखने वाले व्यक्तियों की, तथा धारा 20 के अंतर्गत अभिकर्ता की स्वीकृति सुसंगत होती है।
अतः सेवक द्वारा की गई स्वीकृति सुसंगत नहीं है।

22. In which of the following subjects an expert is competent to testify?
निम्न में से किस विषय पर विशेषज्ञ सक्षम साक्षी है?

(a) Foreign Law/विदेशी विधि
(b) Matter of Science/विज्ञान सम्बन्धी
(c) Question of Art/कला के प्रश्न
(d) All of these/यह सभी

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अनुसार, विशेषज्ञ निम्नलिखित विषयों पर सक्षम साक्षी है-
(1) विदेशी विधि,
(2) विज्ञान,
(3) कला,
(4) हस्तलेख या अंगुलि चिन्हों की पहचान पर।

23. Which of the following has not been included in the definition of 'Court' under the Indian Evidence Act, 1872?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में परिभाषित ''न्यायालय'' के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?

(a) All Judges/सभी न्यायाधीश
(b) All Magistrates/सभी मजिस्ट्रेट
(c) All persons legally authorized to take evidence/वे सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत हैं
(d) Arbitrator/विवाचक (मध्यस्थ)

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, 'न्यायालय' शब्द में शामिल है सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा वे सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत है। अर्थात् विवाचक (मध्यस्थ) न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है।

24. In which of the following case the Supreme Court held that the Court must accept confession as whole and cannot accept only inculpatory and reject the exculpatory part?
किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित कि कि न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी संस्वीकृति को पूर्ण रूपेण स्वीकार करे। वह ऐसा नहीं कर सकता है कि अभियोगात्मक हिस्से को स्वीकार कर ले और निर्दोषकारी हिस्से को छोड़ दे?

(a) Palvinder Kaur v. Punjab State/पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य
(b) Pakla Narayan Swami v. Emperor/पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर
(c) Veera Ibrahim v. Maharashtra State/वीरा इब्राहिम बनाम महाराष्ट्र राज्य
(d) Nathu Singh v. Jagdish Singh/नाथू सिंह बनाम जगदीश सिंह

Ans. (a) : पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य (1952 SC) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी संस्वीकृति को पूर्ण रुपेण स्वीकार करें। वह ऐसा नहीं कर सकता है कि अभियोगात्मक (Inculpatory) हिस्से को स्वीकार कर ले और निर्दोषकारी (Exculpatory) हिस्से को छोड़ दें।

25. A confession made by any person while in police custody will be relevant if it has been made
पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होगी यदि वह की गई है:

(a) Immediately in the presence of magistrate मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में
(b) Immediately in the presence of superintendent of police/पुलिस अधीक्षक (सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस) की साक्षात उपस्थिति में
(c) Immediately in the presence of medical officer/चिकित्साधिकारी की साक्षात उपस्थिति में
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होगी यदि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई है।

26. Which section of Indian Evidence Act, 1872 provides about 'Hostile witness'?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का कौन-सा प्रावधान ''पक्षद्रोही साक्षी'' के सम्बन्ध में है?

(a) Section 133/धारा 133
(b) Section 145/धारा 145
(c) Section 154/धारा 154
(d) Section 126/धारा 126

Ans. (c) : 'पक्षद्रोही साक्षी' के संबंध में प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में किया गया है। पंचम बनाम आर (1930) के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षद्रोही साक्षी वह है जो अपने साक्ष्य देने के ढंग से यह जाहिर करता है कि वह न्यायालय को सच बताने का इच्छुक नहीं है।
धारा 133 - सहअपराधी।
धारा 145 - पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा।
धारा 126 - वृत्तिक संसूचनाएं।

27. Bhushan Sahu v. King is related to which section of Indian Evidence Act, 1872
भूषण साहू बनाम किंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा से जुड़ा वाद है?

(a) Section 115/धारा 115
(b) Section 133/धारा 133
(c) Section 122/धारा 122
(d) Section 126/धारा 126

Ans. (b) : भूषण साहू बनाम किंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 133 से संबंधित है। धारा 133 के अनुसार, सह-अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह-अपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।
धारा 115 - विबन्ध।
धारा 122 - विवाहित स्थिति के दौरान मे की गई संसचूनाएं।
धारा 126 - वृत्तिक संसूचनाएं।

28. Which section of the Indian Evidence Act, 1872 mentions the facts regarding which the court must take judicial notice?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा में यह कहा गया है कि कुछ तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा?

(a) Section 57/धारा 57 (b) Section 67/धारा 67
(c) Section 68/धारा 68 (d) Section 69/धारा 69

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 57 में न्यायिक अवेक्षा (Judicial Notice) से सम्बंधित प्रावधान किया गया है। न्यायिक अवेक्षा से तात्पर्य ऐसे तथ्यों से है, जिनकी न्यायालय को स्वयं जानकारी होनी चाहिए, इन्हें साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।
धारा 67 - जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना।
धारा 68 - ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है।
धारा 69 - जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत।

29. Provision regarding public document has been mentioned under which section of the Indian Evidence Act, 1872?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा में लोक दस्तावेज का प्रावधान है?

(a) Section 73/धारा 73 (b) Section 74/धारा 74
(c) Section 75/धारा 75 (d) Section 76/धारा 76

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 में लोक दस्तावेज का प्रावधान है। इस धारा के अंतर्गत निम्न दस्तावेज को लोक दस्तावेज माना गया है-
1. प्रभुतासम्पन्न प्राधिकारी के कार्यों का दस्तावेज,
2. शासकीय निकाय के कार्यों का दस्तावेज,
3. भारत के लोक अधिकारी के कार्यों का दस्तावेज,
4. किसी राज्य में रखे गये प्राइवेट दस्तावेज के लोक अभिलेख।

धारा 73 - हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं।
धारा 75 - प्राइवेट दस्तावेजे।
धारा 76 - लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ।

30. 'Leading questions' can be asked in
''सूचक प्रश्न'' पूछे जा सकते हैं:

(a) Examination in chief/मुख्य परीक्षा में
(b) Cross examination/प्रति परीक्षा में
(c) Re-examination with the permission of court न्यायालय की अनुमति से पुनः परीक्षा में
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 141 में 'सूचक प्रश्न' को परिभाषित किया गया है तथा 143 में प्रावधान किया गया है कि सूचक प्रश्न प्रति-परीक्षा में पूछे जा सकते है।
मुख्य परीक्षा - धारा 137

31. Which one of the following is not a leading case on dying declaration?
इनमें से कौन मृत्युकालिक कथन पर महत्वपूर्ण वाद नहीं है?

(a) Kushal Rao v. State/कुशाल राव बनाम राज्य
(b) Moti Singh v. State /मोती सिंह बनाम राज्य
(c) Deep Chand v. State /दीप चंद बनाम राज्य
(d) R. v. Jenkis/आर. बनाम जेंकिस

Ans. (c) : कुशाल राव बनाम राज्य (1958 SC), मोती सिंह बनाम राज्य (1963 SC) तथा आर. बनाम जेंकिस (1869) का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(1) के तहत मृत्युकालिक कथन पर महत्वपूर्ण वाद है।
जबकि दीप चंद बनाम उ.प्र. राज्य (1959 SC) का वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है।

32. A witness unable to speak gives evidence by sign-gesture. Such evidence is
एक साक्षी जो बोलने में समर्थ नहीं है, अपना साक्ष्य संकेतों-हावभाव के माध्यम से प्रकट करता है। यह साक्ष्य है:

(a) Secondary Evidence/द्वितीयक साक्ष्य
(b) Special Evidence/विशेष साक्ष्य
(c) Circumstantial Evidence/परिस्थितिजन्य साक्ष्य
(d) Oral Evidence/मौखिक साक्ष्य

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 119 में प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, वह अपना साक्ष्य ऐसी किसी अन्य रीति से चाहे वह लिखकर या संकेतों द्वारा खुले न्यायालय में दे सकता है तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जायेगा।

33. The Supreme Court has recognized the presumption of innocence as a
उच्चतम न्यायालय ने निर्दोषिता की उपधारणा को बताया है एक:

(a) Fundamental Right/मौलिक अधिकार
(b) Statutory Right/सांविधिक अधिकार
(c) Human Right/मानव अधिकार
(d) Customary Right/प्रथागत अधिकार

Ans. (b) : दाताराम सिंह बनाम उ.प्र. राज्य का वाद निर्दोषिता की उपधारणा (presumption of innocence) से सम्बंधित है। निर्दोषिता की उपधारणा एक सांविधिक अधिकार (Statutory Right) है।

34. Which of the following is not a secondary evidence?
इनमें से कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है?

(a) Certified copies/प्रमाणित प्रति
(b) Copies made from original/मूल से बनाई गई प्रति
(c) Where number of documents are made by one uniform process/जहाँ अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया से बनाए गए हैं
(d) Copies compared with original/मूल से तुलना की गई प्रतियाँ

Ans. (c) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 63 के अनुसार, प्रमाणित प्रति, मूल से बनाई गई प्रति तथा मूल से तुलना की गई प्रति द्वितीयक साक्ष्य है। जबकि धारा 62 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार जहां अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया से बनाये गये है, प्राथमिक साक्ष्य है।

35. Oral evidence of a fact invalidating the document is admissible under Indian Evidence Act, 1872
किसी तथ्य का मौखिक साक्ष्य जिसके द्वारा किसी दस्तावेज को अवैध ठहराया जाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में ग्राह्य है:

(a) Proviso 1 to Section 92/धारा 92 परन्तुक 1 में
(b) Proviso 2 to Section 92/धारा 92 परन्तुक 2 में
(c) Proviso 4 to Section 92/धारा 92 परन्तुक 4 में
(d) Proviso 6 to Section 92/धारा 92 परन्तुक 6 में

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 92 के परंतुक 1 के अनुसार, ऐसा कोई तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा, जो किसी दस्तावेज को अविधिमान्य बना दे या जो किसी व्यक्ति को किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना दें।

36. A is tried for murder of B by poison. The fact that before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B is
विष द्वारा 'ख' की हत्या करने के लिए 'क' का विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि 'ख' की मृत्यु से पूर्व 'क' ने 'ख' को दिए गए विष जैसा विष प्राप्त किया था:

(a) Relevant/सुसंगत है
(b) Not relevant/सुसंगत नहीं है
(c) Partly relevant/आंशिक रूप से सुसंगत है
(d) Neither relevant nor irrelevant/न तो सुसंगत हैं, न ही असंगत है

Ans. (a) : प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 के दृष्टांत (ग) पर आधारित है। प्रस्तुत समस्या में जैसा जहर 'ख' को दिया गया था, उसी के समान एक जहर 'क' ने 'ख' की मृत्यु के पूर्व प्राप्त किया था, यह तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 के अंतर्गत तैयारी (preparation) के तौर पर सुसंगत है।

37. Facts which are necessary to explain or introduce relevant facts of place, name, date, relationship and identity of parties are relevant under
वे आवश्यक सुसंगत तथ्य जो किसी स्थान, नाम, तिथि, सम्बन्ध या पक्षकारों की पहचान का स्पष्टीकरण देते हैं या पुनः स्थापित करते हें, सुसंगत हैं:

(a) Section 8/धारा 8 में
(b) Section 9/धारा 9 में
(c) Section 10/धारा 10
(d) Section 11/धारा 11

Ans. (b) : वे तथ्य जो किसी स्थान, नाम, तिथि, संबंध या पक्षकारों की पहचान का स्पष्टीकरण देते है या पुनः स्थापित करते है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9 के अधीन सुसंगत है।